भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3157
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)

उत्तर-पूर्वी राज्यों में रोजगार

3157. श्री विनसेंट एच. पालाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देश में बेरोजगार दर कितनी रही है;

(ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितनी नौकरियां सृजित की गई है;

(ग) क्या सरकार बेरोजगार युवाओं को उनके भरण-पोषण के लिए मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बेरोजगार दर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार का उत्तर-पूर्वी राज्यों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई केंद्र प्रायोजित योजना आरम्भ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देश में श्रम बल लगभग 47.5 करोड़ है और श्रम बल भागीदारी दर 48 प्रतिशत है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े संग्रह किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) इस प्रकार है:

वर्ष	यूआर (%)	डब्ल्यूपीआर (%)	एलएफपीआर (%)
2019-20	4.8	50.9	53.5
2020-21	4.2	52.6	54.9
2021-22	4.1	52.9	55.2

स्रोतः पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है और वहीं दूसरी और, कामगार जनसंख्या अनुपात (अर्थात रोजगार) और श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) **अनुबंध** में है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत, पात्रता शर्तों के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ का भुगतान उन बीमित श्रमिकों को किया जाता है जो अपना रोजगार खो देते हैं। एबीवीकेवाई के तहत बेरोजगारी लाभ को औसत दैनिक आय का 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 90 दिनों तक देय है, साथ ही कोविड-19 के कारण रोजगार खो चुके बीमित कामगारों को लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट दी गई है।

रोजगार क्षमता में सुधार के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। सरकार द्वारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), दीनदयाल उपाध्याय- ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, आदि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसरों (पूर्वोत्तर राज्यों में मुद्दों सहित) से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई जा रही है।

हाल ही में, सरकार ने उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए प्रधान मंत्री पहल (**PM-DevINE**) नामक एक नई केंद्रीय योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्यों की जरुरतों के आधार पर, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करके उत्तर पूर्व क्षेत्र का तेज और समग्र विकास करना है। इस योजना से बुनियादी ढांचे का निर्माण, उद्योगों को समर्थन, सामाजिक विकास परियोजनाएं और युवाओं तथा महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी कार्य होंगे और जिससे रोजगार सृजन होगा।

अवसंरचना और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। हाल के वर्षों में यह अत्याधिक वृद्धि, सरकार के विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के प्रयासों में केंद्रित है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 28.02.2023 तक, इस योजना के तहत 60.31 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 13.03.2023 तक, इस योजना के तहत 42.21 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। दिनांक 24.02.2023 तक 39.65 करोड़ ऋण खाते अनुमोदित किए गए।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं, सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है। सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 20.03.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3157 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर)।

क्र.सं.	**राज्य**	**2021-22**
1.	अरुणाचल प्रदेश	7.7
2.	असम	3.9
3.	मणिपुर	9.0
4.	मेघालय	2.6
5.	मिजोरम	5.4
6.	नागालैंड	9.1
7.	सिक्किम	1.6
8.	त्रिपुरा	3.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई।